



पत्र क्र./शिक्षक-शिक्षा/आनलाइन आबंटन/30-1/प्रवेश/2020-21 ⁹⁰ रायपुर दिनांक 02.02.21

बी.एड. पाठ्यक्रम 2020-21 में रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए
आयोजित अंतिम चरण के आबंटन प्रक्रिया की विस्तृत सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय व निजी शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित बी.एड पाठ्यक्रम 2020-21 के तीन चरण के आबंटन प्रक्रिया के बाद शेष रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए अंतिम चरण का ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया निम्नानुसार परिषद् द्वारा आयोजित किया जा रहा है -

क्र.	विवरण चरणवार	बी.एड.	
		दिनांक से	दिनांक तक
1	पंजीयन व ऑनलाइन विकल्प फार्म जमा करने की तिथि।	06/02/21	11/02/21
2	अंतिम चरण की प्रथम सूची जारी करना	17/02/21	
3	प्रथम सूची में आबंटित छात्रों द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि।	17/02/21	19/02/21
4	द्वितीय सूची जारी करना	23/02/21	
5	द्वितीय सूची में आबंटित छात्रों द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि।	23/02/21	25/02/21
6	तृतीय सूची जारी करना	01/03/21	
7	तृतीय सूची में आबंटित छात्रों द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि।	01/03/21	03/03/21
8	प्रतीक्षा सूची जारी करना	06/03/21	
9	प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के द्वारा महाविद्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना	06/03/21	10/03/21
10	महाविद्यालय द्वारा मेरिट सूची जारी करना	12/03/21	
11	महाविद्यालय में प्रतीक्षा सूची से प्रवेश प्रक्रिया	15/03/21	17/03/21
12	महाविद्यालय द्वारा प्रवेश ऑनलाइन अपडेट करना	19/03/21	22/03/21

इस आबंटन प्रक्रिया के लिए समस्त इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों को पंजीयन करना एवं विकल्प फार्म भरना अनिवार्य होगा। इच्छुक अभ्यर्थी चिप्स के वेबसाइट <http://slcm.cg.state.gov.in/SCERT Online/> में जाकर विकल्प फार्म जमा कर सकते हैं। अंतिम चरण के आबंटन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दिशा निर्देश निम्नानुसार है :-

1. इस आबंटन प्रक्रिया के लिए सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को पुनः पंजीयन एवं विकल्प फार्म भरना आवश्यक होगा। पूर्व चरणों में पंजीयन किये हुए अभ्यर्थियों के द्वारा यदि इस अंतिम चरण के लिए पंजीयन व विकल्प फार्म जमा नहीं किया जाता है तो उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा।

2. इस अंतिम चरण के लिए वे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व के चरणों में विकल्प फार्म व पंजीयन जमा किया था परन्तु उन्हें किसी भी महाविद्यालय में सीट्स आबंटन नहीं हुआ है तो ऐसे अभ्यर्थियों के पास SMS के माध्यम से नया आई.डी. व पासवर्ड चिप्स द्वारा भेजा जायेगा। जिसका उपयोग कर वे Login कर निशुल्क विकल्प फार्म भर सकते हैं। अर्थात इस अंतिम चरण में शामिल होने के लिए उन्हें विकल्प फार्म भरना आवश्यक होगा। क्योंकि उनका पूर्व का विकल्प फार्म इस अंतिम चरण में मान्य नहीं होगा।
3. जिन छात्रों ने पूर्व के चरणों में महाविद्यालय आबंटित हुआ था और उन्होंने प्रवेश नहीं लिया था। तो ऐसे अभ्यर्थी यदि शेष रिक्त सीटों में प्रवेश के इच्छुक हैं तो निर्धारित शुल्क जमा कर पंजीयन एवं विकल्प फार्म जमा कर सकते हैं।
4. नये इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा कर पंजीयन एवं विकल्प फार्म जमा कर सकते हैं।
5. महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेशित छात्र इस अंतिम चरण में सम्मिलित नहीं हो सकते।
6. इस अंतिम चरण में प्रवेश के लिए पात्र इच्छुक अभ्यर्थी विभिन्न महाविद्यालयों/संस्थानों में रिक्त सीटों की जानकारी चिप्स के साइट से प्राप्त कर शेष रिक्त सीटों के लिए एक बार विकल्प फार्म ऑनलाइन जमा करेंगे। इसके बाद तीन बार चयन सूची जारी की जायेगी। यदि चयन सूची में अभ्यर्थी को कोई महाविद्यालय में सीट्स आबंटित होता है तो उन्हें उस महाविद्यालय में प्रवेश लेना आवश्यक होगा, प्रवेश नहीं लेने पर उस अभ्यर्थी का नाम अगली सूची में नहीं आयेगा।
7. अभ्यर्थी रिक्त सीटों के विरुद्ध न्यूनतम एक महाविद्यालय तथा अधिकतम जितने महाविद्यालय में सीटें रिक्त हैं उतने महाविद्यालय का विकल्प ले सकते हैं। परन्तु अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि उन्हीं महाविद्यालय का विकल्प दें जहाँ अभ्यर्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं। क्योंकि महाविद्यालय परिवर्तन की कोई सुविधा नहीं है।
8. तीन सूची जारी करने के बाद भी यदि सीटें रिक्त रहती हैं तो प्रतीक्षा सूची जारी की जायेगी।
9. प्रतीक्षा सूची जारी होने के बाद अभ्यर्थियों का नाम उनके विकल्प व मेरिट के अनुसार कई महाविद्यालय में आ सकता है। इन महाविद्यालयों में अभ्यर्थी जहां-जहां प्रवेश लेना चाहता है उन महाविद्यालयों में निर्धारित तिथि में आवेदन करेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले वह अपने प्रतीक्षा सूची के रैंक तथा रिक्त सीट्स के आधार पर आकलन कर ले कि किस महाविद्यालय में उसे सीटें प्राप्त हो सकती हैं।
10. महाविद्यालय प्राप्त आवेदनों में से मेरिट के आधार पर छात्र चयन कर प्रवेश ले सकेंगे।
11. महाविद्यालय द्वारा मेरिट का विशेष ध्यान रखें मेरिट अतिक्रमण की स्थिति में महाविद्यालय के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
12. यदि समस्त सीट्स प्रथम सूची से ही भर जाती हैं तो अगली चरण की सूची जारी नहीं की जायेगी एवं प्रक्रिया वहीं पर समाप्त हो जायेगी। इसलिए इस प्रक्रिया में शामिल मात्र होने से अभ्यर्थी को सीट्स आबंटन होना आवश्यक नहीं है। आबंटन प्रक्रिया सीटें रिक्त रहने तक की जायेगी।

प्रतीक्षा सूची के लिए अन्य दिशा निर्देश निम्नानुसार है -

1. प्रतीक्षा सूची में उन्हीं अभ्यर्थियों का नाम आयेगा जिन्होंने चौथे (अंतिम चरण) के आबंटन प्रक्रिया के लिए विकल्प फार्म जमा किया है। प्रतीक्षा सूची 1:10 अनुपात में जारी किया जायेगा।
2. यदि किसी अभ्यर्थी ने चौथे चरण में विकल्प फार्म भरते समय जितने महाविद्यालयों का विकल्प दिया है, उतने महाविद्यालयों के प्रतीक्षा सूची में उस अभ्यर्थी का नाम आयेगा। परन्तु यदि अभ्यर्थी का नाम चौथे चरण के तीन सूचियों में से किसी एक सूची में भी आया

होगा तथा अभ्यर्थी के द्वारा आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया होगा तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम उस आबंटित महाविद्यालय के प्रतीक्षा सूची में नहीं आयेगा।

3. किसी भी महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी का नाम प्रतीक्षा सूची में नहीं आयेगा।
4. प्रतीक्षा सूची में नाम आने के बाद जिन महाविद्यालयों के प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी का नाम आया है उनमें से जहां-जहां अभ्यर्थी प्रवेश लेना चाहता है उस महाविद्यालय में अभ्यर्थी स्वयं जाकर निर्धारित तिथि तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपना मोबाइल नंबर देना आवश्यक होगा। निर्धारित प्रपत्र वेबसाइट में उपलब्ध है।
5. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर संबंधित महाविद्यालय से पावती प्राप्त करें। महाविद्यालय भी आवेदनकर्ता अभ्यर्थी को सील लगाकर पावती उपलब्ध करावें।
6. प्रतीक्षा सूची वर्गवार व संवर्गवार नहीं होगी। किसी भी महाविद्यालय/संस्था में आवेदन करने से पहले रिक्त सीटों की संख्या तथा अंतिम चरण के तीसरे सूची में UR वर्ग का Cutoff का अवलोकन अवश्य कर लें।
7. महाविद्यालय प्राप्त आवेदन के आधार पर निर्धारित तिथि को मेरिट क्रम जारी करेगा। इस मेरिट क्रम की जानकारी महाविद्यालय अभ्यर्थी को दूरभाष पर देगा।
8. प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि में महाविद्यालय मेरिट से अभ्यर्थियों को प्रवेश देगा।
9. प्रवेशित अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि में ऑनलाइन अपडेट महाविद्यालय अपने Login से करेगा।
10. ऑनलाइन अपडेट करने के बाद ही अभ्यर्थी का आबंटन पत्र जारी होगा।
11. मेरिट अतिक्रमण की शिकायत होने पर संबंधित महाविद्यालय के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रतीक्षा सूची से प्रवेश उक्त महाविद्यालय के लिए निरस्त भी किया जा सकेगा। परिषद् में शिकायत करते समय निर्धारित प्रारूप में जमा किये गये आवेदन की पावती की छायाप्रति आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

पात्रता, मेरिट निर्धारण व अन्य प्रक्रिया पूर्ववत् ही रहेंगे।

पूछताछ के लिए कार्यलयीन समय में चिप्स के हेल्प डेस्क 7470470609 पर संपर्क किया जा सकता है।


(डी.राहुल वेंकट भा.प्र.से.)
संचालक

एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग. रायपुर

पृ. क्र./शिक्षक-शिक्षा/आनलाइन आबंटन/30-1/प्रवेश/2020-21 रायपुर दिनांक 02.02.2021
प्रतिलिपि -

1. प्रमुख सचिव, छ.ग शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. कुलसचिव समस्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़।
3. सचिव, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर।


संचालक
एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग. रायपुर